

## न्यायालय जिला कलेक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/91/2021

सीताराम माली पुत्र बजरंगलाल माली निवासी मातृछाया खण्डार रोड नीम चौकी मालियों के मंदिर के सामने सवाई माधोपुर राजस्थान।

### बनाम

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्टर भरतपुर।

### अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


### आदेश

दिनांक 25.11.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है सीताराम माली पुत्र बजरंगलाल माली निवासी मातृछाया खण्डार रोड नीम चौकी मालियों के मंदिर के सामने सवाई माधोपुर राजस्थान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2021 प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्टर भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्टर भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/698 दिनांक 09.11.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्टर भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्टर भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक 7030 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।


पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाएं प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्टर भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्टर भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्टर भरतपुर ने अपने जबाब पत्र क्रमांक 7030 दिनांक 15.11.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचनाएं उनके कार्यालय से संबंधित न होने के कारण अपीलान्त का आवेदन प्रभारी अधिकारी भू0अभि0 अनुभाग भरतपुर/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर/प्रबंधक सहकारी भूमि विकास बैंक भरतपुर/जिला दूरसंचार अधिकारी, भारत संचार निगम लिमिटेड भरतपुर व



जिला कलेक्टर  
भरतपुर राज०

प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भरतपुर (बयाना) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी भू0अभि0 अनुभाग भरतपुर/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर/प्रबंधक सहकारी भूमि विकास बैंक भरतपुर/जिला दूरसंचार अधिकारी, भारत संचार निगम लिमिटेड भरतपुर व प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भरतपुर (बयाना) को अन्तरित करते हुये पत्रांक 5826-5832 दिनांक 21.09.2021 से अपीलान्ट को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलान्ट वांछित सूचना प्राप्त करने प्रभारी अधिकारी भू0अभि0 अनुभाग भरतपुर/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग भरतपुर/प्रबंधक सहकारी भूमि विकास बैंक भरतपुर/जिला दूरसंचार अधिकारी, भारत संचार निगम लिमिटेड भरतपुर व प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भरतपुर (बयाना) के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को ( प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

  
(हिमांशु गुप्ता)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर